बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

–: शुद्धि–पत्र :–

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या–900 दिनांक–13.01.2026 द्वारा विभागीय स्थापना/प्रोन्नति/स्क्रीनिंग समिति की बैठक में भाग लेने हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति के पदाधिकारियों का मनोनयन किया गया है।

उक्त पत्र में अंकित पदाधिकारियों के पदनाम को निम्नांकित संशोधनों के साथ पढ़ा जायेगा :–

(i) क्रम संख्या–2 पर अंकित श्री सुशांत कुमार का पदनाम **संयुक्त सचिव** के स्थान पर **अपर सचिव** पढ़ा जायेगा।

(ii) क्रम संख्या–3 पर अंकित श्री अनिल कुमार का पदनाम **संयुक्त सचिव** के स्थान पर **अपर सचिव** पढ़ा जायेगा।

(iii) क्रम संख्या–4 में प्रतिस्थानी पदाधिकारी के रूप में अंकित श्रीमती इन्दु कुमारी का पदनाम **उप सचिव** के स्थान पर **संयुक्त सचिव** पढ़ा जायेगा।

(iv) क्रम संख्या–5 पर अंकित श्री विधु भूषण चौधरी का पदनाम **संयुक्त सचिव** के स्थान पर **अपर सचिव** पढ़ा जायेगा।

(v) क्रम संख्या–6 पर अंकित श्री रामाशंकर का पदनाम **संयुक्त सचिव** के स्थान पर **अपर सचिव** पढ़ा जायेगा।

उक्त संशोधन के अतिरिक्त पत्र की शेष सभी कंडिकाएँ यथावत् रहेगी।

अनुलग्नक–यथोक्त।

20/01/26

(रजनीश कुमार)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–11/आ०नी०–II–05/2022 सा०प्र०..1474...**पटना–15, दिनांक**–20.1.26

ई-मेल – **प्रतिलिपि**–उप सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा, पटना/सचिव, बिहार विधान परिषद्, पटना/प्रशासी पदाधिकारी, बिहार विकास मिशन, पटना/सचिव, लोकायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना एवं अन्य सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/01/26

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–11/आ०नी०–II–05/2022 सा०प्र०..1474...**पटना–15, दिनांक**–20.1.26

प्रतिलिपि–सभी संबंधित पदाधिकरियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/01/26

सरकार के अपर सचिव

FILE PATH-F/NITISH LETTER-02

319

पत्र संख्या–11/आ०नी०–II–05/2022 सा०प्र०...200

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

रजनीश कुमार,
सरकार के अपर सचिव

सेवा में,

ई–मेल

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव
सभी विभागाध्यक्ष

पटना–15, दिनांक–...13-01-26

विषय :– **विभागीय स्थापना/प्रोन्नति/स्क्रीनिंग समिति की बैठक में भाग लेने हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति के पदाधिकारियों का मनोनयन के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय पत्र संख्या–10807 दिनांक–13.06.2025 द्वारा विभिन्न विभागों की स्थापना/प्रोन्नति/स्क्रीनिंग समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए अनुसूचित जाति/जनजाति के पदाधिकारियों का मनोनयन किया गया था।

वर्तमान में कतिपय पदाधिकारियों की सेवानिवृति/प्रोन्नति अथवा अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने, साथ–हीं विभाग द्वारा प्रायोजित बैठकों में मनोनित पदाधिकारियों को ससमय भाग लेने हेतु सुलभ सम्पर्क हेतु उनके मोबाईल नम्बर अधिस्थापित किये जाने के कारण पूर्व के एतद् संबंधी आदेशों को संशोधित करते हुए पदाधिकारियों का मनोनयन निम्नरूपेण किया जाता है :–

क्र0	**पदाधिकारी का नाम**	**प्रतिस्थानी पदाधिकारी का नाम जो स्तम्भ–2 में वर्णित पदाधिकारी की अनुपलब्धता की स्थिति में भाग लेंगे**	**आवंटित विभाग**
1	श्री भारत भूषण प्रसाद, विशेष सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना मो०–9955185596	श्री रविन्द्र नाथ चौधरी, संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना मो०–9431265784	1. गृह विभाग। 2. सामान्य प्रशासन विभाग। 3. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग। 4. सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग। 5. आपदा प्रबंधन विभाग। 6. विधि विभाग। 7. परिवहन विभाग।
2	श्री सुशांत कुमार, संयुक्त सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना मो०–9471456619	श्री हीरामुनी प्रभाकर, विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग (सम्बद्ध–शिक्षा विभाग), बिहार, पटना मोबाईल नं०–9973924078 एवं 6204420787	1. राज्यपाल सचिवालय। 2. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग। 3. संसदीय कार्य विभाग। 4. खान एवं भूतत्व विभाग। 5. वित्त विभाग। 6. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। 7. नगर विकास एवं आवास विभाग।

(318)

3	श्री अनिल कुमार, संयुक्त सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना मो०–9431883255	श्री शम्भु कुमार, संयुक्त निर्वाचन आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना मो०–9631332633	1. ग्रामीण कार्य विभाग। 2. जल संसाधन विभाग। 3. लघु जल संसाधन विभाग। 4. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग। 5. भवन निर्माण विभाग। 6. पथ निर्माण विभाग। 7. सिविल विमानन विभाग।
4	श्री राज किशोर लाल, उप सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना मो०–9431263780	श्रीमती इन्दु कुमारी, उप सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार, पटना मो०–9473406168	1. योजना एवं विकास विभाग। 2. ग्रामीण विकास विभाग। 3. विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग। 4. सूचना प्रावैधिकी विभाग। 5. उद्योग विभाग। 6. पंचायती राज विभाग। 7. मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन, विभाग।
5	श्री विधु भूषण चौधरी, संयुक्त सचिव, सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना मो०–9955544047	श्री अजय कुमार, संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना मो०–9934208919	1. पर्यटन विभाग। 2. गन्ना उद्योग विभाग। 3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग। 4. सहकारिता विभाग। 5. कृषि विभाग। 6. डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग। 7. शिक्षा विभाग।
6	श्री रामाशंकर, संयुक्त सचिव, निगरानी विभाग, बिहार, पटना मो०–9472560035	श्री सुनील कुमार, संयुक्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना मो०–9431455217	1. स्वास्थ्य विभाग। 2. कला संस्कृति एवं युवा विभाग। 3. श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग। 4. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग। 5. वाणिज्य–कर विभाग। 6. उर्जा विभाग। 7. युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग।
7	श्री संजय कुमार, संयुक्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना मो०–9801385727	श्री राहुल बर्मन, भू–सम्पदा पदाधिकारी–सह–संयुक्त सचिव, बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना मो०–9472985137	1. निगरानी विभाग। 2. निर्वाचन विभाग। 3. समाज कल्याण विभाग। 4. अनु०जाति एव अनु० जनजाति कल्याण विभाग। 5. पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग। 6. खेल विभाग। 7. उच्च शिक्षा विभाग।

मनोनीत सदस्यों को आवंटत विभागों के विरूद्ध राजस्व पर्षद एवं बिहार लोक सेवा आयोग के राजपत्रित/अराजपत्रित बैठकों में निश्चित रूप से उपस्थित रहना एवं हस्ताक्षर अंकित करना अनिवार्य है। विषयांकित कार्य हेतु **लोकायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना, बिहार विकास मिशन, पटना, बिहार विधान सभा सचिवालय, बिहार विधान परिषद् सचिवालय, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना एवं बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना** द्वारा आयोजित बैठकों में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना हेतु मनोनीत पदाधिकारी भाग लेंगे। **आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना तथा ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान, पटना** द्वारा आयोजित बैठको में शिक्षा विभाग के लिए मनोनीत पदाधिकारी भाग लेंगे।

317

इसके अतिरिक्त किसी आयोग द्वारा बैठक आहूत किये जाने पर संबंधित प्रशासी विभाग, आयोग जिससे सम्बद्ध हो, के लिए मनोनीत पदाधिकारी द्वारा ही बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया जायेगा।

विभागीय सचिव द्वारा आयोजित बैठक की कार्यावली/नियम के साथ वांछित अभिलेख एक सप्ताह के अंदर निश्चित रूप से संबंधित मनोनीत सदस्यों को परिचारित करा दिया जाय तथा बैठक के लिए सीधे पत्राचार कर उनसे सम्पर्क स्थापित किया जाय।

सामान्य तौर पर मनोनीत पदाधिकारी का सचिवालय स्थित किसी अन्य विभाग/निदेशालय/आयोग/प्राधिकार में स्थानांतरण/प्रोन्नति हो जाने पर भी यह मनोनयन अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।

मनोनीत सदस्य बिहार आरक्षण अधिनियम–3, 1992 के निहित प्रावधानों तथा अन्य संकल्प/परिपत्रों/आदेशों के अनुपालन में कार्य करेंगे। **साथ ही आवंटित विभागों के अन्तर्गत विभागीय स्तर पर गठित किसी अन्य समिति की बैठक में भी भाग लेने हेतु प्राधिकृत होंगे।**

यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

विश्वासभाजन,
13/01/26
(रजनीश कुमार)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–11/आ०नी०–II–05/2022 सा०प्र० 300 **पटना–15, दिनांक–** 13-01-26

प्रतिलिपि–उप सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा, पटना/सचिव, बिहार विधान परिषद्, पटना/प्रशासी पदाधिकारी, बिहार विकास मिशन, पटना/सचिव, लोकायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना एवं अन्य सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/01/26
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–11/आ०नी०–II–05/2022 सा०प्र० 300 **पटना–15, दिनांक–** 13-01-26

प्रतिलिपि–सभी संबंधित पदाधिकरियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/01/26
सरकार के अपर सचिव

FILE PATH-F/NITISH LETTER-02